सं. S-11011/2/2020-SBM-DDWS

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 03.12.2020

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II के दिशानिर्देश – निधि जारी किए जाने के लिए राज्यों की पात्रता संबंधी शर्त को शिथिल करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इन दिशानिर्देशों के अध्याय 16 के अंतर्गत निधि जारी किए जाने के लिए राज्यों की पात्रता शर्तों में एक शर्त यह है *"राज्य मंत्रिमंडल ने SBM(G) चरण-II को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया हो और इस कार्यक्रम के लिए राज्यांश समय पर जारी करने के लिए प्रतिबधता बताई हो;"* |

2. इस शर्त को अब शिथिल कर दिया गया है ।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

रामपाल
03/12/2020

(रामपाल सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन - 011-2436 9654
ईमेल : rampal.singh67@nic.in

प्रति:

1) मिशन निदेशक/राज्य समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
2) समेकित वित्त प्रभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
3) NIC - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए